भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **690**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022/18 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

खाद एवं उर्वरकों की उपलब्धता

690. श्री बी.बी.पाटील:
श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले':

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के गरीब किसानों को सस्ते दामों पर खाद और उर्वरकों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देशभर के किसानों को वितरित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या खेती के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई आधिकारिक जिम्मेदारी तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उर्वरकों की जमाखोरी/कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): सरकार वर्ष 2015-16 से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) की स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है।

सामूहिक प्रणाली (क्लस्टर मोड) में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीकेवीवाई देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के तहत किसानों को 3 वर्ष के लिए 50000 रुपए/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें ऑर्गेनिक आदानों जैसे बीज, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, ऑर्गेनिक खाद, कम्पोस्ट/वर्मी-कम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 31000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को प्रदान किये जाते हैं, जबकि एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत किसानों को ऑर्गेनिक उर्वरकों सहित ऑर्गेनिक आदानों की खरीद/खेत में उत्पादन के लिए 32500 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाई जाती है। यूरिया के 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया सुपुर्दगी की लागत तथा यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक रूप से तय की गई राजसहायता की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत, अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, गरीब तथा सीमांत कृषकों सहित कोई भी किसान, जो इन उर्वरकों को खरीद रहा है, वह राजसहायता का लाभ उठा रहा हैं। सरकार प्रत्येक फसली मौसम अर्थात रबी तथा खरीफ के प्रारम्भ से पूर्व प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित उर्वरकों तथा एसएसपी की आवश्यकता का आकलन करती है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साप्ताहिक वीडिया कॉफ्रेंस के माध्यम से उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ): प्रत्येक रबी तथा खरीफ मौसम से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रेषित आवश्यकता के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दी जाने वाली उर्वरकों की मात्रा को अंतिम रूप प्रदान करता है। उर्वरक विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रदत्त आवश्यकता के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना को अंतिम रूप प्रदान करता है तथा प्रत्येक माह किसानों की उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि राज्य के भीतर किसानों को उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों का अधिदेश है।

(ड.): उर्वरक विभाग देशभर में उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान सभी उर्वरकों की आवश्यकता तथा उपलब्धता का ब्यौरा **अनुलग्नक-I तथा II** पर दिया गया है।

(च): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी एक्ट) के तहत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उर्वरकों के किसी भी संभावित विपथन को रोकने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश और उर्वरक संचलन आदेशों (एफसीओ और एफएमओ) के तहत एक सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र मौजूद है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को इसके प्रावधानों के उल्लंघनकर्ता और जमाखोरी, विपथन तथा कालाबाजारी आदि में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। उर्वरक विभाग ने, उन इकाइयों में औचक निरीक्षण कराने के लिए उड़नदस्ता सेल की स्थापना की है, जहां उर्वरकों के विपथन की आशंका है।

****

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2022-23 (नवंबर, 2022 तक) के लिए राज्य-वार यूरिया की आवश्यकता और उपलब्धता			
			<आंकड़े लाख मी.टन में>
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01
2	आंध्र प्रदेश	10.14	11.23
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
4	असम	2.59	2.65
5	बिहार	14.70	13.54
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.73	8.45
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01
9	दमन और दीव	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.12	0.19
11	गोवा	0.02	0.02
12	गुजरात	16.30	18.12
13	हरियाणा	15.00	15.65
14	हिमाचल प्रदेश	0.44	0.58
15	जम्मू और कश्मीर	0.91	1.25
16	झारखंड	2.15	2.26
17	कर्नाटक	12.94	15.81
18	केरल	0.93	0.99
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	26.00	25.39
21	महाराष्ट्र	18.73	22.40
22	मणिपुर	0.22	0.25
23	मेघालय	0.02	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.08
25	नगालैंड	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.53	5.63
27	पुदुचेरी	0.10	0.12
28	पंजाब	22.50	24.93
29	राजस्थान	16.50	19.41
30	सिक्किम	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	7.45	7.50
32	**तेलंगाना**	**13.50**	**14.69**
33	त्रिपुरा	0.19	0.26
34	उत्तराखंड	1.46	1.55
35	उत्तर प्रदेश	51.50	58.08
36	पश्चिम बंगाल	8.68	10.62
	कुल	**255.45**	**281.68**

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2022-23 (नवंबर, 2022 तक) के लिए पीएण्डके उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता और उपलब्धता			
			<आंकड़े लाख मी.टन में>
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.01
2	आंध्र प्रदेश	15.47	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00
4	असम	1.42	1.18
5	बिहार	9.70	9.72
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	5.59	4.51
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.04	0.05
11	गोवा	0.04	0.03
12	गुजरात	9.66	11.26
13	हरियाणा	6.04	6.00
14	हिमाचल प्रदेश	0.32	0.31
15	जम्मू और कश्मीर	0.63	0.51
16	झारखंड	1.56	1.26
17	कर्नाटक	19.81	22.37
18	केरल	2.01	1.78
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	21.50	19.18
21	महाराष्ट्र	27.09	27.95
22	मणिपुर	0.24	0.12
23	मेघालय	0.02	0.00
24	मिजोरम	0.10	0.01
25	नगालैंड	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.70	5.05
27	पुदुचेरी	0.07	0.08
28	पंजाब	9.30	8.19
29	राजस्थान	7.90	8.95
30	सिक्किम	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	8.53	10.28
32	**तेलंगाना**	**15.85**	**15.09**
33	त्रिपुरा	0.12	0.08
34	उत्तराखंड	0.56	0.68
35	उत्तर प्रदेश	27.70	25.15
36	पश्चिम बंगाल	12.25	12.21
	कुल	**209.23**	**207.84**

****